इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 305] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 9 जुलाई 2013—आषाढ़ 18, शक 1935

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 9 जुलाई 2013

क्र. 15416-वि.स.-विधान-2013.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश धर्म-स्वातन्त्र्य (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 12 सन् 2013) जो विधान सभा में दिनांक 9 जुलाई, 2013 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १२ सन् २०१३

मध्यप्रदेश धर्म-स्वातन्त्र्य (संशोधन) विधेयक, २०१३

मध्यप्रदेश धर्म-स्वातन्त्र्य अधिनियम, १९६८ को संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश धर्म-स्वातन्त्र्य (संशोधन) अधिनियम, २०१३ है.

(२) यह इसके मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा ४ का स्थापन.

२. मध्यप्रदेश धर्म-स्वातन्त्र्य अधिनियम, १९६८ (क्रमांक २७ सन् १९६८) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ४ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

धारा ३ के उपबंधों के उल्लंघन के लिये दण्ड.

"४. जो कोई धारा ३ के उपबंधों का उल्लंघन करता है, किसी सिविल दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा :

परन्तु जो कोई किसी अप्राप्तवय, किसी स्त्री या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित किसी व्यक्ति के संबंध में धारा ३ के उपबंधों का उल्लंघन करता है वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो चार वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो एक लाख रुपये तक हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा.".

धारा ५ का स्थापन.

३. मूल अधिनियम की धारा ५ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

धर्म-संपरिवर्तन के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुज्ञा ली जाएगी.

"५. (१) जो कोई किसी व्यक्ति का एक धर्म से किसी अन्य धर्म में संपरिवर्तन या तो ऐसे धर्म-संपरिवर्तन के लिये कोई संस्कार धार्मिक पुरोहित के रूप में स्वयं करके या ऐसे संस्कार में प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: भाग लेकर, करेगा, वह संबंधित जिला मजिस्ट्रेट से, ऐसे प्ररूप में जैसा कि विहित किया जाए, आवेदन द्वारा ऐसे प्रस्तावित धर्म-संपरिवर्तन के लिये पूर्व अनुज्ञा लेगा.

(२) कोई व्यक्ति जिसने धर्म-संपरिवर्तन किया है, संबंधित जिले के जिसमें कि ऐसा संस्कार हुआ हो, जिला मजिस्ट्रेट को, ऐसी कालावधि के भीतर तथा ऐसे प्ररूप में, जैसा कि विहित किया जाए, ऐसे धर्म-संपरिवर्तन के तथ्य की प्रज्ञापना भेजेगा.

(३) जो कोई बिना पर्याप्त कारण के उपधारा (१) तथा (२) के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है तो वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा.".

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश धर्म-स्वातन्त्र्य अधिनियम, १९६८ (क्रमांक २७ सन् १९६८) की धारा ३ किसी व्यक्ति को एक धर्म से अन्य धर्म में बल प्रयोग द्वारा या प्रलोभन द्वारा या किन्हीं कपटपूर्ण साधनों द्वारा संपरिवर्तित किए जाने का प्रतिषेध करती है. धारा ३ के उपबंधों के उल्लंघन के लिए धारा ४ में दण्ड उपबंधित है जो कम है. अतएव, यह प्रस्तावित है कि दण्ड को बढ़ाया जाए जिससे कि इसे और कठोर बनाया जा सके. मूल अधिनियम की धारा ५ को प्रतिस्थापित किया जाना भी प्रस्तावित है, जिसमें यह प्रस्तावित है कि धर्म-संपरिवर्तन के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुज्ञा ली जाएगी जिससे कि किसी दबाव अथवा प्रलोभन के अधीन धर्म-संपरिवर्तन को रोका जा सके.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख २८ जून, २०१३.

उमाशंकर गुप्ता
भारसाधक सदस्य.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित मध्यप्रदेश धर्म स्वातन्त्र्य (संशोधन) विधेयक, २०१३ के खण्ड ३ (१) एवं (२) द्वारा प्रस्तावित धर्म-संपरिवर्तन के लिये प्ररूप विहित किये जाने एवं धर्म परिवर्तन के तथ्य की प्रज्ञापना भेजने संबंधी प्ररूप विहित किये जाने संबंधी नियम राज्य सरकार बना सकेगी, तत्संबंधी प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप के होंगे.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.